

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

श्रीहर कौर इफ मोहरा बनाम शरोन देवी

मु.नं.-52/25

किरम - 5क

26/9/25 श्रीठासीन अधिकारी मन्थ राज्य कार्य
में उपस्थित होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
पत्रावली प्रयागुसाट दिनांक 14/11/25 को पेश हो
(ध)

14.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
वकील वादी ने प्रतिवादीगण से तलपना सम्मत पेश
नहीं किया। वकील वादी ने तलपना सम्मत पेश
करने हेतु समय पाहा। 200/- कर्षों की कोश्ट
पर भीतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली
वास्तव तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 12.12.25 को
पेश हो रू

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12.01.25 अलिभाफको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन
रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली
प्रयागुसाट दिनांक 15.01.26 को पेश हो। (ध)

15.01.26 श्रीठासीन अधिकारी अचकाश पर पधारै
पत्रावली प्रयागुसाट दिनांक 24-2-26 को पेश हो।
(ध)

24-2-26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के वार
- 2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष उपस्थित नहीं
पत्रावली लखे समय से तलबी में संबित
है। वादी को वार-2 निर्देशों के वापस दे भी
वादी द्वारा प्रतिवादीगण से तलपना सम्मत
पेश नहीं किया और निर्देशों की अवहेलना की

यालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए

मोहरवाइ उर्फ मोहरा ^{बनाम} सरोज देवी
मु.नं.- 52/15 किस्म - डावा

गर्ह। इससे स्पष्ट है कि वादी पगावली में
कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है,
इसलिए पगावली वादीगणों की अदम हाजरी
या अदम पंरकी में रकौज की जाती है। पगावली
कैसल सुमाद होकर एग्रेजिल स्फलद हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)